भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1871

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) परियोजना की स्थिति**

**1871 डा. आर. लक्ष्मणन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति द्वारा शुरू की गई वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) परियोजना की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस परियाजेना के तहत पहाड़ी इलाकों और अन्य प्रतिकूल भूभागों में अवस्थित किन्हीं जिला तथा अधीनस्थ न्यायालय परिसरों को छोड़ दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (ग) :** सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हेतु समर्थ बनाने के लिए, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के सहयोग से ई-न्यायालय मिशन मोड़ परियोजना क्रियान्वित कर रही हैं । ई-न्यायालय मिशन मोड़ परियोजना के अधीन, बी.एस.एन.एल के माध्यम से मैनेजड मलटी-प्रोटोकोल लेबल स्विचिंग (एम.पी.एल.एस), वर्चुअल प्राईवेट नेटवर्क (वी.पी.एन), पर आधारित वाईड एरिया नेटवर्क (वी.ए.एन.), देश के 2992 न्यायालय परिसरों में स्थापित किए जा रहे हैं।

इन 2,992 न्यायालय परिसरों मे से, 547 न्यायालय परिसर जो 1260 न्यायालयों को समावेशित करते हैं और उनमें किसी भी प्रकार की संयोजकता नहीं हैं, को राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उनके मामला आंकड़े अपलोड करने के लिए समर्थ बनाने हेतु आत्यंतिक प्राथमिकता दी जा रही हैं। न्यायालय परिसरों को, परिसरों में न्यायालयों की संख्या पर निर्भर करते हुए 10 एम.बी.पी.एस. से 100 एम.बी.पी.एस. की रेंज तक इंटरनेट बैंड विड़थ संयोजकता प्रदान की जा रही हैं।

**पहांडी क्षेत्रों और प्रतिकूल भूभागों जिसके अंर्तगत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू-कश्मीर भी हैं, में स्थित सभी 329 न्यायालय परिसर ई-न्यायालय वी.ए.एन. के अधीन समावेशित हैं ।**

**2,992 परियोजना स्थानों में से 2,066 न्यायालय परिसरों में ऑपटिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी) पहले से ही बिछा दिया गया हैं। क्रियान्वयन, ऑनलाइन वी.ए.एन. क्रियान्वयन मॉनिटरी प्रणाली के माध्यम से मानीटर किया जाता हैं जो बी.एस.एन.एल के विभिन्न सर्कलों द्वारा नियमित रुप से अद्यतन किया जाता हैं।**

**ई-न्यायालय वी.ए.एन. परियोजना के अधीन तारीख 24 अगस्त 2018 को विद्यमान देश के सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालयों, जिसके अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्रों और प्रतिकूल भूभागों के न्यायालय परिसर भी हैं, को संयोजित करने की योजना हैं ।**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***